न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—106/2017/223 आर.टी.एक्ट (2017/00106)

1. भंवरलाल पुत्र सुवालाल जाति जाट निवासी भादोवो की कोठरी तहसील हुरडा जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. गोपाल पुत्र मूला
2. रामनिवास पुत्र मूला
3. श्रीमती छोटी पुत्री रूघा
4. श्रीमती लादी पुत्री रूघा
5. श्रीमती गीता पुत्री रूघा
   समस्त जाति गुर्जर निवासीगण निमेडा तहसील भिनाय जिला अजमेर।
6. राजस्थान सरकार

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.10.2016 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 189/2005 (33/2010)

उपस्थितः—

1. श्री हेमसिंह अभिभाषक अपीलांट
2. अजीतसिंह अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 06

निर्णय

दिनांकः—23.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 189/2005 (33/2010) में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी केकडी के न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के स्व0 पिता मूला पुत्र घीसा दत्तक पुत्र रूघा व रेस्पोडेंट संख्या 3 लगायत 5 के विरूद्ध राज्य सरकार को पक्षकार बनाते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 व 92ए के तहत ग्राम बडली तहसील भिनाय जिला अजमेर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 4759, 4760, 7462, 4763, 4784 कुल किता 5 कुल रकबा 1.47 है0 बाबत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अभिकथनों के आधार पर दादरसी सहित कुल 3 तनकीयात कायम की गई। आगे चलकर वाद की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, केकडी से उपखण्ड

अधिकारी, भिनाय को स्थानान्तरण की गई। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। उभयपक्षों की बहस सुनकर अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2016 द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 189/2005 (33/2010) में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी, भिनाय में नियुक्त अभिभाषक ने प्रार्थी को प्रत्येक पेशियों पर न्यायालय में आने से माना किया हुआ था तथा प्रार्थी को यह आश्वासन दे रखा था कि जब भी प्रार्थी की आवश्यकता होगी वे प्रार्थी को जरिये सूचना बुला लेगें। प्रार्थी अपने अभिभाषक के विश्वास व राय अनुसार न्यायालय में प्रत्येक पेशियों पर नहीं गया। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10. 2016 द्वारा प्रार्थी का वाद खारिज कर दिया था। जिसकी सूचना प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी को जरिये पोस्ट कार्ड देना बताया, जैसा कि प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रार्थी को बताया किन्तु उक्त पोस्ट कार्ड प्रार्थी को किसी कारण वश प्राप्त नहीं हो सकता जिस कारण से प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय व डिक्री की जानकारी पूर्व में नहीं हो पायी। प्रार्थी इसी विश्वास में था कि उसके द्वारा प्रस्तुत वाद अभी भी उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के न्यायालय में विचाराधीन है। प्रार्थी द्वारा धारा 212 आर.टी. एक्ट के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी सं0 1543/2009 भी विचाराधीन थी। उक्त निगरानी के विचाराधीन रहते अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि मूल वाद का निर्णय दिनांक 27.10.2016 को हो चुका है जिस कारण से उक्त निगरानी स्वतः ही प्रभावहीन हो चुकी है जिस पर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 27.02.2017 द्वारा प्रार्थी की निगरानी को मूल वाद का निस्तारण होने से सारहीन होना मानकर खारिज कर दिया था। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में नियुक्त अभिभाषक ने तत्पश्चात दिनांक 09. 03. 2017 को पोस्ट कार्ड भेजकर प्रकरण बाबत् वस्तुस्थिति अवगत करवायी जिस पर प्रार्थी दिनांक 20.03.2017 को अजमेर आकर अपने अभिभाषक से सम्पर्क किया तथा माननीय न्यायालय के निर्णय कि प्रमाणित प्रतिलिपी दिनांक 21. 03.2017 को प्राप्त की तब प्रार्थी को विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय व डिक्री दिनांक 27.10.2016 बाबत् जानकारी हुयी तपश्चात प्रार्थी विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष नियुक्त अभिभाषक से मिला जिन्होंनें प्रार्थी को यह बताया कि उन्होंने भी जरिये पत्र प्रार्थी को आदेश दिनांक 27.10.2016 की जानकारी पूर्व में ही दे दी थी। पत्र प्रार्थी को क्यों नहीं मिला इस बाबत् वे भी बताने को असमर्थ रहे। तपश्चात प्रार्थी ने अभिभाषक की राय अनुसार विद्वान उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के निर्णय व डिकी की प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर उपरोक्त अपील जानकारी की दिनांक से तैयार करवा कर अविलम्ब आज दिनांक को प्रस्तुत करवा दी है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई

सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराश्य नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि तनकी सं० 1 इस आशय की कायम की गयी थी कि आया वादी को वाद पत्र में वर्णित ग्राम बडली की विवादग्रस्त भूमि वादी ने क्रय की तब से वादी के कब्जे काश्त में होने घोषणा करवाने का अधिकारी रखता है। उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर रखा गया था। वादी ने तनकी सं० 1 को अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित कर दिया था। वादी ने इकरारनामा दिनांक 15.12.1988 प्रदर्श 4, एफ.आई.आर. प्रदर्श 5 व मौखिक साक्ष्य में गवाह उमराव पुत्र सुवालाल के अतिरिक्त वादी स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। जिसमें वादी के पक्ष में किये गये विक्रय पत्र को वादी ने अपने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित कर दिया था। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने तनकी सं० 1 का निर्णय अस्पष्ट आधारों पर वादी के विरूद्ध कर दिया। जो दस्तावेज वादी ने प्रस्तुत किये तथा जिन पर प्रदर्श डाला गया उनको साक्ष्य में ग्राहय होना नहीं मानते हुये तनकी सं० 1 का निर्णय गलत रूप से वादी के विरूद्ध कर दिया। जबकि प्रतिवादीगण ने

वादी के साक्ष्य के खण्डन के विपरीत किसी प्रकार की कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की थी। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय का निर्णय तनकी सं० 1 पर प्रर्वस है। तनकी सं0 2 इस आशय की कायम की गयी थी कि आया विवादित भूमि प्रतिवादी की पुश्तैनी भूमियां है तथा प्रतिवादी के कब्जे काश्त की भूमियां होने से वादी को घोषणा करने का हक नहीं होने से दावा खारिज योग्य है। उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रखा गया था। प्रतिवादीगण ने तनकी सं0 2 को किसी भी साक्ष्य से साबित नहीं किया ना ही कोई दस्तावेज्जी साक्ष्य प्रस्तुत की। किसी प्रकार की साक्ष्य उनके समर्थन में प्रस्तुत नहीं किये जाने के अभाव में तनकी सं0 2 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध पारित किये जाने योग्य होते हुये भी उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने बिना किसी साक्ष्य के अभाव में विवादित भूमि को पैतृक भूमि होना मानकर तनकी सं0 2 का निर्णय प्रतिवादीगण के पक्ष में पारित करने में अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। उनका निर्णय तनकी सं0 2 पर प्रर्वस है एवं काबिल निरस्तनीय है। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष केवल दादरसी सहित 3 तनकीयात कायम की गयी थी जिसमें तनकी सं० 1 को साबित करने का भार वादी पर तथा तनकी सं० 2 को साबित करने का भारी प्रतिवादीगण पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त अन्य कोई तनकी कायम नहीं की गयी थी किन्तु उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने आदेश अंतर्गत अपील पारित करते समय क्षेत्राधिकार संबंधी बिन्दु स्वविवेक से कायम करते हुये वादी द्वारा प्रस्तुत वाद उनके समक्ष क्षेत्राधिकार का होना नहीं मानते हुये भी खारिज कर दिया जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं था। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय को अगर क्षेत्राधिकार संबंधी बिन्दु बाबत् अपना कोई निर्णय पारित करना था तो उन्हें सर्वप्रथम इस बाबत् तनकी कायम करनी चाहिये थी एवं आदेश 14 नियम 2(2) सीपीसी के अनुसार केवल क्षेत्राधिकार संबंधी बिन्दु को सर्वप्रथम तय करना चाहिये था अगर उनकी राय अनुसार उनके समक्ष विचाराधीन वाद उनके समक्ष संधारण योग्य नहीं था तो आदेश 7 नियम 10 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार उन्हें वादी का वाद क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर खारिज करने का अधिकार नहीं था उसके पश्चात उनको वादी का वाद खारिज नहीं कर सक्ष्म न्यायालय में लौटाने का आदेश प्रदान करना चाहिये। इसके अतिरिक्त भी अगर उनकी राय अनुसार वादी का वाद उनके समक्ष संधारण योग्य नहीं था एवं उनके क्षेत्राधिकार का नहीं था तो उनको केवल क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर ही अपना निर्णय प्रदान करना चाहिये था। अन्य बिन्दुओं बाबत् उनको गुणावगुण पर वादी के वाद को उनके पश्चात देखने का व निर्णित करने का अधिकार नहीं था। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय उनके समक्ष विचाराधीन वाद को निर्णित करने में विफल रहे है। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय का आदेश 20 नियम 4 व 5 के रिक्वायरमेन्ट के अनुसार नहीं है। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य का आदेश अंतर्गत अपील पारित करने से पूर्व विश्लेषण व विवेचन नहीं किया। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 189/2005 (33/2010) में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2016 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि प्रतिवादी सं. 1 से 4 ने अपने प्रतिवाद पत्र में वाद कथन नकारते हुए साराशतः निवेदन किया है कि विवादित भूमियां रुघा पुत्र मोड़ा गूर्जर की थी। उसकी मृत्यु के बाद मु० अनोपी बेवा रूघा एवं मूला पुत्र रुघा के मालिकाना अधिकार में चली आ रही थी तथा अनोपी की मृत्यु के बाद से प्रतिवादी सं 1

के कब्जे काश्त एवं आधिपत्य में चली आ रही है। स्व. अनोपी एवं प्रतिवादी सं में कभी भी वादी के पक्ष में कोई इकरानामा तहरीर तकमील नहीं करवाया है। इसलिए रजिस्ट्री कराने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता विवादित आराजी स्व. अनोपी बेवा रुघा गूर्जर की खातेदारी में अंकित है उसकी मृत्यु दिनांक 03.09.1996 को हो चुकी है। तब से उसका एक मात्र वारिस प्रतिवादी सं. ही विवादित आराजी का मालिक काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है वादी दावे की आड़ में विवादित आराजीयात को हड़पना चाहता है अतिरिक्त कथन में निवेदन किया है कि विवादित आराजी स्व. रूघा जी की थी उनकी मृत्यु के बाद उनकी बेवा अनोपी के नाम लगी अनोपी की मृत्यु के बाद से इनमें प्रतिवादी सं. 1 ही मालिक काबिज चला आता है, तथा लगान अदा करता है। वादी की नियत बद है और वह विवादित भूमियों पर जबरन कब्जा करना चाहता है इसलिए प्रतिवादी सं. 1 ने भी वादी के विरूद्ध उसी न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद सं. 267/2005 से पेश किया हुआ है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में प्रतिवादी 1 एवं उसकी माता अनोपी द्वारा उसके पक्ष में इकरानामा तहरीर व तकमील करने के कथन किये जो सर्वथा मिथ्या है यदि कोई इकरानामा तहरीर करवाया भी है तो उसके बाबत् सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय का न होकर सिविल न्यायालय का बनता है जहां वादी को स्पेसिक परफोरमेंस का वाद प्रस्तुत करना चाहिये। वाद वादी खारिज योग्य है अतः खारिज फरमाने के आदेश प्रदान करावें । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 89 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर उक्त प्रकरण में दो तनकीयां निर्मित की तथा उक्त दोनों तनकीयों का विस्तृत विवेचन करते हुए दादरसी में वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष प्रदान नहीं कर उक्त वाद को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश दिनांक 27.10.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का निस्तारण तनकीयों अनुसार किया गया। तनकी संख्या 1 *" आया वादी के वाद पत्र में वर्णित ग्राम बडली की वादग्रस्त भूमि वादी ने क्रय की है तब से वादी के कब्जे काश्त में होने घोषणा कराने का अधिकार रखता है? "* न्यायालय हाजा द्वारा उक्त तनकी के अवलोकन से यह तथ्य दृष्टिगत होते हैं कि ग्राम बडली तहसील भिनाय जिला अजमेर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 4759, 4760, 7462, 4763, 4784 कुल किता 5 कुल रकबा 1.47 है0 है। जो कि रूघा पुत्र मोडा जाति गुर्जर के नाम दर्ज चली आ रही थी तथा रूघा की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात मु0 अनोपी बेवा रूघा के नाम दिनांक 23.01.1996 को राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2059–2062 से भी स्पष्ट है कि उक्त संपूर्ण आराजीयात मु0 अनोपी बेवा रूघा कौम गुर्जर के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात पर अपीलांट का किसी प्रकार से कब्जा काश्त नहीं है व ना ही वह उक्त आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड में उसका नाम कहीं पर भी अंकित है।

अपीलांट द्वारा केवल मात्र मौखिक कथनों के अनुसार ही उक्त आराजीयात पर काबिज काश्त होना बताया गया है। अपीलांट द्वारा पत्रावली पर एक एफ0आई0आर की प्रति भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी जो कि साक्ष्य के रूप में ग्राहय नहीं है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तनकी संख्या 1 को साबित करने में विफल रहा है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी अपीलांट के विरूध व रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णित की गई जो कि उचित है। इसी प्रकार तनकी संख्या 2 *" आया विवादित भूमियां प्रतिवादी की पुश्तैनी भूमियां है तथा प्रतिवादी के कब्जे काश्त की भूमियां होने से वादी को घोषणा कराने का हक नहीं होने से दावा खारिज योग्य है। "* अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ना ही हाजा न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि उक्त आराजीयात रूघा वल्द मोडा जाति गुर्जर की खातेदारी की भूमियां थी जो कि उसकी मृत्यु के बाद उसकी बेवा मु0 अनोपी के नाम दर्ज हुई तथा आदिनांक तक अनोपी के नाम दर्ज चली आ रही है तथा उक्त विवादित भूमियां वर्तमान रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी भूमियां होना स्वयं सिद्ध है। अतः उक्त तनकी संख्या 2 का निर्धारण अधीनस्थ द्वारा बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी तय की गई जो कि उचित है। चूंकि अपीलांट द्वारा पत्रावली पर एक इकरारनामा दिनांक 15.12.1988 प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार श्रीमती अनोपी बेवा रूघा व मूला वल्द रूघा जाति गुर्जर द्वारा वर्तमान अपीलांट के पक्ष में उक्त विवादित आराजीयात बाबत इकरारनामा निष्पादित किया गया था जिसके अनुसार जब खरीददार चाहेगा उसके हक में बेचाननामा तस्दीक करवा देंगे परंतु अपीलांट द्वारा उक्त इकरारनामे बाबत आदिनांक तक किसी सक्षम न्यायालय में कार्यवाही नहीं की गई। उक्त इकरारनामें के आधार पर अपीलांट द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 1955 के तहत किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं पाया जाता है। अपीलांट उक्त इकरारनामे बाबत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तनकीयों का विस्तृत विवेचन करते हुए पारित किया गया है, व उक्त निर्णय में उनके द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से उक्त अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 189/2005 (33/2010) में पारित निर्णय दिनांक 27.10.2016 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर